

Class - B.A-1 (Honours, Pol. science)

Paper - I

Name of the Guest Teacher - Khushbu Kumari,

Department of Political Science, V.S. J. College, Rajnagar,
Madhubani, Inmu

Topic - सत्ता (Authority)

सत्ता किसी भी व्यवस्था या संगठन के लिए अनिवार्य तत्व होता है। इसे संगठन की आत्मा कहा जाता है। सत्ता राजनीतिक प्रक्रियाओं का मूल मंत्र है और राजनीति की व्यवस्था में इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती।

वस्तुतः राजनीतिक जीवन का उद्देश्य ही सत्ता की प्राप्ति करना और उसको बनाये रखना होता है। इसके माध्यम से किसी भी संगठन या व्यवस्था में समन्वय, विनिश्चय, निर्माण, अनुशासन इत्यादि प्रक्रियाएँ सम्भव होती हैं।

अर्थ एवं परिभाषा :-

सत्ता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द "आक्वीरितास" से हुई है जिसका अर्थ है - बढ़ाना। सत्ता वह गुण है

जो इच्छा, संकल्प या पसन्द को विवेक के साथ जोड़कर उसका विस्तार करती है।

रौम में इसका प्रयोग सीनेट करती थी। जब सीनेट सार्वजनिक सभाओं के संकल्पों को स्वीकृति प्रदान करती थी तो यह कहा जाता था कि कानूनों को आक्टोरियास अर्थात् सत्ता प्राप्त हो गई है। इस स्वीकृति के मिलने पर कानूनों को रौम की परम्पराओं के अनुरूप समझा जाता था, जो धर्म और देवी-देवताओं के अनुकूल समझे जाते थे।

कार्ल जे. फ्रेडरिक के अनुसार, "जिसे केवल संकल्प, इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर पाया जाता है, उसके औचित्य को नार्किक प्रक्रिया द्वारा सिद्ध करने की क्षमता को सत्ता कहते हैं।"

यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, "सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। हेनरी फेयोल के अनुसार, "सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता के दो पक्ष हैं - प्रथम, निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति तथा द्वितीय, उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। अतः हम कह सकते हैं कि, अधिकार सत्ता, निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है, जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है।

सत्ता के संबंध में सिद्धान्त

सत्ता की प्रकृति के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है -

① औपचारिक सत्ता सिद्धान्त - इस सिद्धान्त के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार वरिष्ठ एवं विशिष्ट अधिकारियों को दिया जाता है और इससे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औपचारिक शक्ति होती है। इस सिद्धान्त का ये मत है कि सत्ता संगठन या व्यवस्था में होती है, सत्ता के धारक व्यक्ति में नहीं।

② स्वीकृति सिद्धान्त - व्यवस्थावादी औपचारिक सत्ता सिद्धान्त में विश्वास न रखने हुए 'स्वीकृति सिद्धान्त' का प्रतिपादन करते हैं। इनके अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किन्तु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति 'सत्ता स्थिति' बन जाती है।

इन दोनों ही सिद्धान्तों की अपनी-अपनी तुलनाएँ हैं और इसलिए इन दोनों सिद्धान्तों की सत्यताओं को ग्रहण करने हुए एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास हुआ है, जिसके

अन्तर्गत सत्ता की अवधारणा से सत्ताकृत औचित्यपूर्ण शाक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृती दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

सत्ता के स्रोत या प्रकार

मेक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के निम्नलिखित प्रकार बताये हैं -

① परम्परागत — जब जनता या अधीनस्थ व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता को यह प्रकार परम्परागत कहा जाता है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र स्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार की सत्ता राजतन्त्र में देखी जाती है।

② कानूनी — जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ समतल है जिनके औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को कानूनी माना जाता है।

③ करिश्मात्मक सत्ता — जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर अन्यायसंगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इसमें अधीनस्थ अनुयायी

होते हैं और अपने प्रिय नेता के ³ करिश्मानी एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उनके आदेशों का पालन करते हैं।

मैक्स वेबर के अनुसार कानूनी सत्ता कमजोर होती है, अतः उसे सबलता प्रदान करने के लिए इसमें परम्परागत एवं करिश्मानी तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए।

संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता के निम्नलिखित प्रकार होते हैं —

- (i) क्षेत्रीयता के आधार पर राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सत्ता
- (ii) संवैधानिक दृष्टि से संविधान से प्राप्त अथवा साधारण कानूनों से प्राप्त सत्ता
- (iii) सरकार के परम्परागत अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका सम्बन्धी सत्ता
- (iv) राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक तथा प्रशासनिक सत्ता
- (v) संख्यात्मक दृष्टि से एकल, बहुल, निगमनात्मक, आयोगात्मक अथवा मण्डलात्मक सत्ता तथा,
- (vi) विभिन्न विषयों की दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी सत्ता।

सत्ता के आधार :-

सत्ता के अनेक स्रोत एवं आधार होते हैं।

लेकिन उसका मूल आधार औचित्यपूर्ण है क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधीन एवं अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाना है। इसके अनिश्चित विश्वास, विचारों की एक रूपता, विभिन्न दृष्ट विधान, पर्यावरणात्मक दबाव, संविधान इत्यादि भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं।

सत्ता की सीमाएं :-

सत्ता किसी भी प्रकार की अवस्था के लिए आवश्यक होता है, लेकिन समय और सुसंस्कृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं निर्धारित कर देता है, जिसका पालन किया जाना नितान्त आवश्यक है। सत्ता की सीमाओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-

- ① प्राकृतिक सीमा - किसी भी राज अवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रताओं और सीमित सम्पत्ति से भी वंचित कर दे। यह सत्ता की प्रथम प्राकृतिक और अनिवार्य सीमा है।
- ② नैतिक-धार्मिक विश्वास - नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा हैं। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है, तब उसका पालन करवाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है।
- ③ संस्कृति - संस्कृति लोगों के उस जीवन ढंग का नाम है जो अपने आपको कला, साहित्य, धर्म, संगीत के

रूप में प्रकट करती है। सत्ता को संस्कृत या सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता।

④ आर्थिक सीमाएं - प्रत्येक राज-व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं। अतः ये आर्थिक साधन और क्षमताएं सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

⑤ संविधान, नियम और उपनियम - संविधान राजसत्ता का अंतिम स्रोत होता है, अतः सर्वोच्च सत्ता के लिए भी संविधान के प्रावधानों का पालन आवश्यक होता है।